भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 341

गुरूवार, 6 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

चिकित्सा पर्यटन को प्रोत्साहन देना

341 श्रीमती रेणुका चौधरी:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों में चिकित्सा पर्यटन से वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि दर के साथ वर्ष-वार कुल कितना राजस्व सृजित हुआ है;

(ख) क्या सरकार और अधिक अंतरराष्ट्रीय मरीजों को आकर्षित करने के लिए मेडिकल ई-वीजा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या चिकित्सा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ समर्पित स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र या केंद्र स्थापित करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): पर्यटन मंत्रालय चिकित्सा पर्यटन से अर्जित राजस्व से संबंधित आंकड़े नहीं रखता है।

(ख): भारत सरकार ने और अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में अनेक पहलें की हैं। चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने के लिए विदेशी नागरिकों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार ने 167 देशों के नागरिकों को ई-मेडिकल वीजा/ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा, ई-वीजा सुविधा 9 उप-श्रेणियों के तहत उपलब्ध है अर्थात 'ई-टूरिस्ट वीजा', 'ई-बिजनेस वीजा', 'ई-मेडिकल वीजा', 'ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा', 'ई-कॉन्फ्रेंस वीजा', 'ई-आयुष वीजा', 'ई-आयुष अटेंडेंट वीजा', 'ई-स्टूडेंट वीजा' और 'ई-स्टूडेंट एक्स वीजा'। ई-वीजा 31 नामित हवाई अड्डों और 6 नामित बंदरगाहों के माध्यम से प्रवेश के लिए मान्य है।

(ग): प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने चिकित्सा वैल्यू यात्रा (एमवीटी) के लिए भारत का आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया है, जोकि 'एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया पोर्टल' है। यह एक "वन-स्टॉप" पोर्टल है जिसे उन लोगों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है जो विदेश से आकर भारत में चिकित्सा उपचार का लाभ उठाना चाहते हैं। भारत में चिकित्सा या निरोगता सेवाएं चाहने वाला कोई भी अंतरराष्ट्रीय रोगी www.healinindia.gov.in. पर लॉग इन करके एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया पोर्टल पर जा सकता है।

यह भी सूचित किया गया है कि भारत सरकार ने टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के विकास मे सहायता देने हेतु ऋण लेने के लिए विशेष प्रावधान पेश किए हैं। कई प्रमुख अस्पतालों ने टियर-2 और टियर-3 शहरों में निवेश किया है। दंत प्रत्यारोपण और कॉस्मेटिक सर्जरी जैसी विशेष प्रक्रियाएं अब इन टियर -2 और टियर -3 शहरों में उपलब्ध हैं।

****